भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2916

(दिनांक 17.12.2025 को उत्तर देने के लिए)

कंटेंट सिंडिकेशन नीति, 2025

2916. श्री टी. एम. सेल्वागणपतिः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि प्रसार भारती अपनी कंटेंट सिंडिकेशन नीति, 2025 को अंतिम रूप देने के लिए तैयार है और इस संबंध में प्रमुख उद्योग हितधारकों के साथ परामर्श का एक दौर आयोजित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस नीति का उद्देश्य दूरदर्शन और आकाशवाणी से प्रसारकों के टेलीविज़न और रेडियो कंटेंट के बड़े अभिलेखागारों का लाभ लेना और उस तक पहुंच बढ़ाना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उक्त नीति में घरेलू और वैश्विक मंचों पर रणनीतिक सहयोग की परिकल्पना की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (ग): प्रसार भारती ने सांस्कृतिक लोक संपर्क को बढ़ावा देने, सामग्री के मुद्रीकरण का संवर्धन करने के साथ-साथ अपने लोक सेवा अधिदेश को बनाए रखने के उद्देश्य से सामग्री सिंडिकेशन नीति, 2025 का एक मसौदा तैयार किया है। इस मसौदे को सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रसार भारती की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

पूरे मीडिया इकोसिस्टम में मुख्य हितधारकों के साथ एक उद्योग परामर्श किया गया। इनमें ओटीटी प्लेटफॉर्म, लीनियर टीवी प्रसारक, रेडियो नेटवर्क, टेलीकॉम कैरियर, आईपीटीवी ऑपरेटर और कंटेंट एग्रीगेटर शामिल थे।

इस नीति का लक्ष्य दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा निर्मित सामग्री, अभिलेखीय राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सामग्री, तथा लाइव कवरेज (सरकारी कार्यक्रम, महोत्सव, खेल आदि) का मुद्रीकरण है। यह प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित डिजिटल-फर्स्ट सामग्री पर भी विचार करती है।

इसके अतिरिक्त, मसौदा नीति प्रसार भारती के स्वामित्व वाली कमीशंड, सह-निर्मित, लाइसेंस प्राप्त तथा अन्य सामग्री के मुद्रीकरण का प्रस्ताव करती है।

मसौदा सामग्री सिंडिकेशन नीति, प्रसार भारती की सामग्री की पहुँच को बढ़ाने और वैश्विक स्तर पर भारत की सांस्कृतिक उपस्थिति को सुदृढ़ करने हेतु घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्मों के साथ रणनीतिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना करती है।

यह फ्लैट फीस, राजस्व साझेदारी तथा राजस्व साझेदारी के साथ न्यूनतम गारंटी जैसे लचीले लाइसेंसिंग मॉडल का प्रावधान करती है।
